महत्वपूर्ण

संख्या-151/2025/439/2025-27-सिं0-4-FCN-1832864

प्रेषक,

डॉ० अरविन्द कुमार चौरसिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0,शासन।

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ:: दिनांक: 08 अप्रैल, 2025**

विषय: ओ.ए.संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य मेंमा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-2025 के अनुपालन में जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी का फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ओ०ए० संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य मेंमा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 एवं मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्रसंख्या-25/मु०अ०(ज०सं०)/अनिमं-1/अनिख-3, दिनांक 28-03-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा सुआँव नदी के आस-पास अधिकतम बाढ़ के आधार पर फ्लड प्लेन का निर्धारण कर उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के क्रम में सुआँव नदी के आस-पास अधिकतम बाढ़ (2009-2023) के आधार पर जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 13.02.2025 को सुनवाई के उपरान्त निम्न आदेश (प्रस्तर-8) दिये गये है :-

"We are of the view that Survey of India should submit final report to Irrigation Department expeditiously without any further delay and the Department of Irrigation should accomplish all the tasks of FPZ and issue Notification in this regard well before next date of hearing."

3- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-2025 के अनुपालन में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार सुआँव नदी के आस-पास अधिकतम बाढ़ (2009-2023) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी का फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ.ए.संख्या-433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-2025 के अनुपालन में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा सुआँव नदी के आस-पास अधिकतम बाढ़ (2009-2023) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण कर उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार **जनपद बलरामपुर में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) (प्रति संलग्न)के आधार पर जनपद बलरामपुर में सुआँव नदी का फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है।** इस सम्बन्ध मे एन.एम.सी.जी, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगें।

https://shasanadesh.up.gov.in

उक्त के संदर्भ में यह भी सूच्य है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा सर्वे ऑफ इण्डिया एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों के आधार पर माडलिंग कर 100 वर्ष की आवृत्ति के बाढ़ के अनुसार फ्लड प्लेन जोन निर्धारण किये जाने की कार्यवाही प्रगति में है, जो सितम्बर-2025 तक सम्भावित है।कालान्तर में 100 वर्ष की बाढ आवृत्ति के अनुसार फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण हो जाने के उपरान्त उक्त अधिसूचना स्वतः निरस्त मानी जाएगी तथा पुनः 100 वर्ष की बाढ़ आवृत्ति के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारण किये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाएगी।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न-यथोक्त ।

भवदीय,
डॉ0 अरविन्द कुमार चौरसिया
विशेष सचिव।

संख्याएवंदिनांकतदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-4 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. मुख्य अभियंता (सरयू-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोण्डा।
21. गार्ड फाईल।

संलग्न-यथोक्त ।

आज्ञा से,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव ।

https://shasanadesh.up.gov.in